फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुर दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 47/2018**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.01.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी; अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः—प.1( )सू0अ0,05/2018/993—94 दिनांक 20.12.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6(3)(1)(2) के अन्तर्गत मूल आवेदन पत्र प्रबंधक/लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को इस कार्यालय के जरिये पत्रांक सू0अ0,05/2018/825—26 दिनांक 28.06.2018 से भेजा गया एवं प्रार्थी को भी इस बाबत सूचित किया गया कि संबंधित कार्यालय मे सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करें। प्रार्थी के आर0टी0आई0 आवेदन से चाही गई सूचना के संबंध में महाप्रबंधक (प्रशासन) हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द जरिये पत्राक राद/हि.जि.लि./रा.द./18 दिनांक 30.10.2018 से प्रार्थी को सूचित करते हुए इस कार्यालय को भी सूचित किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्राईवेट संस्थान है जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। अतः आवेदक द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स	

न्यायालय जिला कलक्टर

तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है । सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आर0टी0आई0 के दायरे में नहीं आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है । अतः प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार मे नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)